

प्रेस नोटथाना- जीयनपुरगोबध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 19.01.2024 को वादी मुकदमा व0उ0नि0 देवेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद सुकुरुल्ला निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2.इसरार उर्फ बबलू पुत्र सुल्तान मुहल्ला पुरा दिवान थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को एक अदद चापड व 12 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मोहम्मद 1.नसीम पुत्र मोहम्मद सुकुरुल्ला निवासी आजाद नगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2.इसरार उर्फ बबलू पुत्र सुल्तान मुहल्ला पुरा दिवान थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 3.फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 14/02/2024 को उ0नि0 धनन्जय सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को अंजानशहीद बाजार से समय करीब- 09.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- 1- फिरोज पुत्र मोबिन निवासी आजादनगर थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग--- मु0अ0सं0-- 31/2024 धारा 3/5/8 गोबध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0-- 31/2024 धारा 3/5/8 गोबध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 धनन्जय कुमार सिंह व का0 अशोक सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना निजामाबादकिशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी सहित 04 गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दिनांक 21.01.24 को वादी मुकदमा ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 14.1.24 को विपक्षी अभियुक्त विशाल प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 21/24 धारा 363, 366 IPC बनाम विशाल प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। बाद बरामदगी पीड़िता व बयान अन्तर्गत धारा 161 CrPC /164 CrPC से धारा 368/376/120B IPC धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी और अभियुक्तगण 1.बृजेश गौड पुत्र बांगुर गौड निवासी बडागाँव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. राजमन प्रजापति पुत्र शंकर प्रजापति निवासी रुद्रानपुर शिवरामपुर ( बहादीपुर) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 3. रामकेवल प्रजापति पुत्र स्व0 बृजराज प्रजापति निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 14.02.2024 को उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त 1. विशाल प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. बृजेश गौड पुत्र बांगुर गौड निवासी बडागाँव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया, 3. राजमन प्रजापति पुत्र शंकर प्रजापति निवासी रुद्रानपुर शिवरामपुर ( बहादीपुर) थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 4. रामकेवल प्रजापति पुत्र स्व0 बृजराज प्रजापति निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग - 1. मु0अ0सं0 21/24 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विशाल प्रजापति पुत्र चन्द्रदेव प्रजापति निवासी फरहाबाद

2.बृजेश गौड पुत्र बांगुर गौड निवासी बडागाँव

3. राजमन प्रजापति पुत्र शंकर प्रजापति निवासी रुद्रानपुर शिवरामपुर ( बहादीपुर) थाना तहबरपुर

4. रामकेवल प्रजापति पुत्र स्व0 बृजराज प्रजापति निवासी फरहाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

## थाना- कोतवाली

### चोरी गये मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ इतिहास – वादिनी रानी राव पुत्री ओमप्रकाश राव ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13/02/2024 को कुछ काम से रोडवेज बस स्टैण्ड पर आई थी लखनऊ गेट के पास से समय करीब 2 बजे दिन में मेरी जेब में से मेरी Vivo 1915 मोबाइल चोरी हो गया। मैं अपने मोबाइल के बारे में पूछताछ कर रही थी कि वहीं पर मौजूद अजय प्रजापति पुत्र भृगुनाथ प्रजापति ग्राम भवतर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि मेरा भी मोबाइल oppo A52020 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि दर्ज है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक- 14.2.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त मजनु पुत्र पंचम निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को चोरी गये 02 मोबाइल को समय 11.25 बजे मोहटी घाट थाना कोतवाली आजमगढ़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 89/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- मजनु पुत्र पंचम निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

01 ओपो मोबाइल फोन

01 अदद vivo मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह आरक्षी गौरव जायसवाल व आरक्षी बसंत लाल, आरक्षी आकाश कुमार के चौकी रोडवेज थाना कोतवाली आजमगढ़।

## थाना – अहरौला

### युवती के साथ दुराचार व अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 16.12.2023 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1. सुजीत यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. रंजीत यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ जोर दुराचार किया गया तथा अश्लील फोटो खींचकर मोबाइल से वायरल किया गया व जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए जान माल की धमकी दी गयी है, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 424/2023 धारा 354/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5A SC/ST एक्ट बनाम – 1. सुजीत यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. रंजीत यादव पुत्र दयाराम यादव ग्राम सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.02.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुजीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी शाहपुर सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को गौरीपुर पुलिस चौराहा से समय 09.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय क्रिय गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 424/2023 धारा 354/504/506/376 भादवि व 67 आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 SC/ST थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुजीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी शाहपुर सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, हे0का0 विमलेश तिवारी, का0 आदर्श शाह तथा म0का0 वन्दना सिंह थाना अहरौला आजमगढ़।

## थाना- सरायमीर

### पुलिस को गुमराह कर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराने वाला वादी/अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना- वादी मुकदमा श्रीकान्त यादव पुत्र हनुमान यादव ग्राम खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24/1/2024 को समय 6.30 बजे मेरा छोटा भाई अरविन्द यादव उम्र 22 वर्ष घर से ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी कूश लेने के लिए गया हुआ था की जमीनी रंजीश के कारण रजनीकान्त पुत्र पुलावन, रामाश्रय पुत्र बीरबल, रमेश पुत्र बीरबल निरज पुत्र छोटेलाल साकिनान खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बगीचे में मेरे भाई को दौड़ा लिये तथा रजनीकान्त उपरोक्त अपने हाथ में लिए कट्टे से गोली मार दिया जिससे मेरे भाई के बाँए पैर में गोली लगी हैं उपरोक्त लोगो ने धमकी देते हुये मौके से भाग गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 307/506/34 भादवि बनाम रामाश्रय यादव आदि 04 नफर पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गयी।

►विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, डाक्टर का बयान, तथा अन्य गवाहों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वादी मुकदमा व उसके भाई अरविन्द यादव द्वारा एक योजना के तहत मनगढ़न्त कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था। जिस पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 307 भादवि का विलोप करते हुये धारा 195 भादवि की बढ़ोत्तरी किया गया अग्रिम विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 195/506/34 भादवि राज्य द्वारा व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार बनाम 1. श्रीकान्त यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव 2. अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव के विरुद्ध सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 14.02.2024 व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को वादी/अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव निवासी खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के घर ग्राम खानपुर से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-37/2024 धारा 307/506/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ में धारा- 307 भादवि की लोप व धारा 195 भादवि बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त - अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हनुमान यादव निवासी खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 37/2024 धारा 195/506/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-151/2022 धारा 376 डीबी,506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-28/2024 धारा 429,435,504,506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम- व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

## थाना- कन्धरापुर

### किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 05.02.24 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02/02/2024 को वादिनी मुकदमा अपनी मौसी थाना कप्तानगंज गयी थी, विपक्षी बाल अपचारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ रात्रि में घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, मु0अ0सं0 33/2024 धारा 376/452/323/504/506 भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट बनाम एक बाल अपचारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 14.02.24 को थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को मंदूरी तिराहा से समय 13.50 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 33/2024 धारा 376/452/323/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. का0 धीरेन्द्र पासवान थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
3. का0 आकाश गोंड थाना कन्धरापुर आजमगढ़
4. म0का0 रागिनी पाठक थाना कन्धरापुर, आजमगढ़